# न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –34 / 2017

**वादीगण**

1. शंकरा पुत्र उका
2. रूपा पुत्र उका
3. शांतिराम पुत्र उका जाति मेगवंशी (मेघवाल) निवासी धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर

**प्रतिवादीगण**

1. काला पुत्र वजा
2. अमरा पुत्र वजा
3. मफा पुत्र वजा
4. पनाराम पुत्र तलका
5. मृ0 काली पुत्री तलका के का. मू. वारीसान
   5/1 नीना पुत्री काली
   5/2 बसन्ती पुत्र काली
   5/3 जगदीश पुत्र काली
6. रेवी पुत्री तलका
7. दीवा पुत्री तलका
8. मृ0 पारू पत्नि तलका (फौत होने से का.मू. वारीसान पहले से संयोजित है।)
9. विक्रम पुत्र माधाराम
10. गोपाल पुत्र माधाराम
11. प्रियंका पुत्री माधाराम
12. पंखु पत्नि माधाराम
13. मोटाराम पुत्र नानजी
14. चुनाराम पुत्र नानजी
15. धनी पत्नि नानजी जातियान मेगवंशी (मेधवाल) निवासीयान धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर
16. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
17. शाखा प्रबन्धक जालोर भुमि विकास बैक लिमिटेड शाखा रानीवाडा
18. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा रानीवाडा

| अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 |
|---|

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री जानू मेघवाल।
2. प्रतिवादी संख्या 1, 3, 13 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवड़ा।
3. प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5/1 से 5/3, 6, 7, 9, 10, 11 12 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

– निर्णय :–

दिनांक 06.04.2022

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा धानोल तहसील रानीवाडा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की संयुक्त सामलाती खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 1094 रकबा 1.86 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1095 रकबा 1.70 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1097 रकबा 1.33 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1098 रकबा 1.30 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1099 रकबा 1.23 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1100 रकबा 1.31 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 8.73 हैक्टर आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में शंकरा, रूपा, शांतिराम पिसरान उका 1/4 काला, अमरा पिसरान वजा 0.74 हैक्टर, मफा वल्द वजा 1.44 हैक्टर बराबर 1/4, तलका वल्द जमा, मोटाराम, चुनाराम पिसरान नानजी, मु. धनी पत्नि नानजी 1/2 कौम मेगवंशी साकिन देह खातेदार दर्ज है तथा जरिये ना.क. सं. 1490 दिनांक 18.5.2015 के जरिये तलका वल्द जामा फौत की बजाय पना वल्द तलका, काली, रेवी, दीवा, पुत्रीया तलका, पारू पत्नि तलका, विक्रम, गोपाल पिसरान माधाराम, प्रियंका पुत्री माधाराम, पंखु पत्नि स्व. माधाराम दर्ज किया गया। उक्त आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्सा खातेदार का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का भी 1/4 हिस्सा खातेदारी का तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 15 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। उक्त आराजी का हम वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के बीच विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है।
2. विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ जब दिनांक 20.9.2017 को वादीगण आराजी की देखभाल करने गये हुये थे, तब प्रतिवादी संख्या 1 से 15 उसे वहां मिले तो वादीगण ने उन्हें वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 15 ने वादीगण को आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने से मना कर दिया तथा लाठी के बल पर बेदखल करने की एलानिया धमकी दी। तत्पश्चात उस समय पैदा हुआ जब दिनांक 5.10.2017 को वादीगण ने पुनः प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 15 ने वादीगण को आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने से इंकार कर दिया तथा वादीगण को एलानिया धमकी दी कि हम तुम्हें उक्त आराजी में काश्त भी नहीं करने देगें तथा तुमने ज्यादा किया तो तुम्हें लाठी के बल पर उक्त आराजी से बेदखल कर देगें तथा उक्त आराजी का बिन बंटवाडा करवाये किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर देगें। तत्पश्चात वाद कारण निरन्तर जारी है।
3. इस्तदुआ वादीगण है इस आशय की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावे कि मौजा धानोल तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 1094 रकबा 1.86 किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1095 रकबा 1.70 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1097 रकबा 1.33 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1098 रकबा 1. 30 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1099 रकबा 1.23 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1100 रकबा 1.31 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 8.73 हैक्टर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के बीच मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा किया जाकर उक्त आराजी में से वादीगण को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/4 हिस्सा व [illegible] संख्या 4 से 15 को 1/2 हिस्सा अलग–अलग बंट में दिया जावे तथा इस[illegible] राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद व लगान के निर्धारण हेतु तहसीलदार रानीवाडा [illegible] तहरीर जारी फरमावें एवं इस आशय की डिक्री बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे कि बाद बंटवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 से 15 उपरोक्त आराजी में से वादीगण के बंट की आराजी में उनके कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखलन्दाजी करावें।

4. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5/1 से 5/3, 6, 7, 9, 10, 11 12 की ओर से इकबालिया जवाब दिया गया कि खसरा नबंर 1094 रकबा 1.86 किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1095 रकबा 1.70 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1097 रकबा 1.33 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1098 रकबा 1.30 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1099 रकबा 1.23 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नबंर 1100 रकबा 1.31 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 8.73 हैक्टर का वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच मिटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर बंटवाडा किया जाकर उक्त आराजी में वादीगण को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 से 15 को 1/2 हिस्सा अलग अलग बंट में दिया जावें।

5. प्रतिवादी संख्या 1, 3, 13 से 15 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा धानोल तहसील रानीवाडा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की संयुक्त एवं सामलाती खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1094 रकबा 1.86 हैक्टर, खसरा नबंर 1095 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नबंर 197 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नबंर 1098 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नबंर 199 रकबा 1.23 हैक्टर, खसरा नबंर 1100 रकबा 1.31 हैक्टर जुमले रकबा 8.73 हैक्टर आई हुई है, परन्तु उक्त आराजी खसरा नबंर 1097, 1095, 1094, 1098 का उक्त आराजी के सहखातेदारान के बीच आपसी सहमति से वर्षो पुर्व बंटवाडा हो चुका है। उक्त बंटवाडा अनुसार खसरा नबंर 1097 रकबा 1.33 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बंट में, खसरा नबंर 1094 रकबा 1.86 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 13 से 15 के बंट में, खसरा नबंर 1095 रकबा 1.70 हैक्टर वादीगण के बंट में तथा खसरा नबंर 1098 रकबा 1.30 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 से 12 के पूर्वाधिकारी तलका के बंट में दिया हुआ है तथा मौके पर इसी माफिक सभी सहखातेदारान अलग–अलग काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा खसरा नबंर 1099 व 1100 की आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की सामलाती व संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है। शेष कथन सही होने से स्वीकार है। व वादग्रस्त आराजी का जवाब दावा के फिकरा संख्या 1 में वर्णितानुसार बंटवाडा हो चुका है तथा मौके पर खसरा नबंर 1099 व 1100 की आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की सामलाती व संयुक्त कब्जे काश्त की होने का फायदा उठाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 से 8 उक्त आराजी को अकेले हडप करने की नियत पाले हुये है तथा वादीगण ने जवाब दावा के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयान के मौके पर बंटवाडे माफिक राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाडा करवा कर अमलदरामद करवाने में हमेशा आनाकानी की है तथा खसरा नबंर 1099 व 1100 की आराजी को अकेले हडप करने तथा मौके पर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से यह दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जवाब देहन्दा ने कभी भी वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त व बंटवाडे अनुसार एवं अपने हिस्से अनुसार विधिवत बंटवाडा करवाने में कभी भी आना कानी नहीं की है। वादीगण का यह कथन कि प्रतिवादी संख्या 1 से 15 आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने से मना कर दिया तथा लाठी के बल पर बेदखल करने की एलानियां धमकी दी है, जो गलत है। वादीगण ने दिनांक 9.1[illegible].2017 को जवाब देहन्दा को मौके से लाठी के बल पर बैदखल करने तथा उक्त आराजी का विधिवत बंटवाडा आपसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

सहमति से नहीं करवाने की एलानियां धमकी दी है। इसलिये जवाब देहन्दा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 13 से 15 वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार करवाने के अधिकारी होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 13 से 15 की ओर से यह काउन्टर क्लेम बाबात बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है। उक्त विवादीत आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के बीच बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा कर नवीन खसरा नबंर 1099 रकबा 1.23 हैक्टर, खसरा नबंर 1100 रकबा 1.31 हैक्टर आराजी में से वादीगण को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 से 12 को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 से 15 को 1/4 हिस्सा अलग–अलग बंट में दिया जावे तथा खसरा नबंर 1097 रकबा 1.33 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बंट में, खसरा नबंर 1094 रकबा 1.86 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 13 से 15 के बंट में, खसरा नबंर 1095 रकबा 1.70 हैक्टर वादीगण के बंट में तथा खसरा नबंर 1098 रकबा 1.30 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 से 12 के बंट में मौके पर कब्जे काश्त अनुसार दिये जावें तथा इसी माफिक लगान के निर्धारण हेतु तहसीलदार रानीवाडा का आदेश फरमावें।

6. दिनांक 02.03.2021 को न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा धानोल के खसरा नबंर 1094, 1095, 1097, 1098, 1099, 1100 रकबा क्रमश 1.86, 1.70, 1.33, 1.30, 1.23, 1.31 हेक्टेयर, जुमले रकबा 8.73 हैक्टर के मीटस एण्ड बाउण्डस के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को दिये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/275 दिनांक 09.03.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2021/386 दिनांक 08.04.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये है। उक्त प्राप्त प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव पर प्रतिवादी संख्या 1, 3, 13 से 15 के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति पेश की गई। जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 13 से 15 की ओर से पेश आपत्ति को ध्यान में रखकर दिनांक 31.08.2021 को संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार रानीवाडा से पत्रांक/राजस्व/2021/679 दिनांक 03.09.2021 से संशोधित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाया गया। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बंटवाडा प्रस्तावित कर पत्रांक/राज/2022/319 दिनांक 14.03.2022 से प्रस्तुत किया गया।

7. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर को उपस्थित पक्षकारन को पढकर सुनाया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया। वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5/1 से 5/3, 6, 7, 9, 10, 11 12 के अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की व प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 13 से 15 द्वारा मौखिक आपत्ति की गई। जिस पर पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1, 3, 13 से 15 की आपत्ति पर संशोधित प्राथमिक डिक्री पालना मंगवाई जा चूकी है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 बीच बंटवाडा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

| क्र.स | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टे0 में | बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में | किस्म | नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर) | लगान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शंकरराम पुत्र उकाराम हिस्सा 1/3, रूपाराम पुत्र उकाराम हिस्सा 1/3, शांतिराम पुत्र उकाराम 1/3 हिस्सा कौम मेगवाल सा. देह खातेदार | 1099 | 1.23 | 1.04 | बा.दो. | भूरा | 3.12 |
| | | 1100 | 1.31 | 1.10 | बा.दो. | | 3.30 |
| | | 1098 | 1.30 | 0.04 | बा.दो. | | 0.12 |
| 2. | मोटाराम पुत्र नानजी हिस्सा 1/3, चुनाराम पुत्र नागजी 1/3 (फौत) धनी पत्नि नानजी 1/3 कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार | 1094 | 1.86 | 1.32 | बा.दो. | बैंगनी | 3.96 |
| | | 1095 | 1.70 | 0.87 | बा.दो. | | 2.61 |
| 3. | काला पुत्र वजा 37/218 अमरा पुत्र वजा 37/218 मफा पुत्र वजा 72/109 कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार | 1097 | 1.33 | 0.81 | बा.दो. | गुलाबी | 2.43 |
| | | 1094 | 1.86 | 0.54 | बा.दो. | | 1.62 |
| | | 1095 | 1.70 | 0.83 | बा.दो. | | 2.49 |
| 4. | पना पुत्र तलका 1/6 रहन –SBI शाखा रानीवाडा, पारूदेवी पत्नि तलका 1/6 (फौत) रहन –SBI शाखा रानीवाडा, काली पुत्री तलका 1/6 (फौत) रहन –SBI शाखा रानीवाडा, रेवी पुत्री तलका 1/6 रहन –SBI शाखा रानीवाडा, दीवा पुत्री तलका 1/6 रहन–SBI शाखा रानीवाडा, विक्रम पुत्र माधाराम 1/24 रहन–SBI शाखा रानीवाडा, गोपाल पुत्र माधाराम 1/24 रहन–SBI शाखा रानीवाडा, पंखु पत्नि माधाराम 1/24 रहन–SBI शाखा रानीवाडा, प्रियंका पुत्री माधाराम 1/24 रहन–SBI शाखा रानीवाडा कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार। | 1097 | 1.33 | 0.52 | बा.दो. | आसमानी | 1.56 |
| | | 1099 | 1.23 | 0.19 | बा.दो. | | 0.57 |
| | | 1098 | 1.30 | 1.26 | बा.दो. | | 3.78 |
| | | 1100 | 1.31 | 0.21 | बा.दो. | | 0.63 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

8. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के बीच पृथक–पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवाडा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के हक में प्राप्त आराजी के संबंध में एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

**(civil procedure code, Appendix “D”-1)**

## अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. शंकरा पुत्र उका<br>2. रूपा पुत्र उका<br>3. शांतिराम पुत्र उका जाति मेगवंशी (मेधवाल) निवासी धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर | **बनाम** | 1. काला पुत्र वजा<br>2. अमरा पुत्र वजा<br>3. मफा पुत्र वजा<br>4. पनाराम पुत्र तलका<br>5. मृ0 काली पुत्री तलका के का.मू. वारीसान<br>5/1 नीना पुत्री काली<br>5/2 बसन्ती पुत्र काली<br>5/3 जगदीश पुत्र काली<br>6. रेवी पुत्री तलका<br>7. दीवा पुत्री तलका<br>8. मृ0 पारू पत्नि तलका (फौत होने से का.मू. वारीसान पहले से संयोजित है।)<br>9. विक्रम पुत्र माधाराम<br>10. गोपाल पुत्र माधाराम<br>11. प्रियंका पुत्री माधाराम<br>12. पंखु पत्नि माधाराम<br>13. मोटाराम पुत्र नानजी<br>14. चुनाराम पुत्र नानजी<br>15. धनी पत्नि नानजी जातियान मेगवंशी (मेधवाल) निवासीयान धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर<br>16. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा<br>17. शाखा प्रबन्धक जालोर भुमि विकास बैक लिमिटेड शाखा रानीवाडा<br>18. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा रानीवाडा |

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 34/2017

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री जानू मेघवाल उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1, ,3 13 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवडा व प्रतिवादी संख्या 2, 4 से 7, 9 से 12 की ओर से श्री अमृत कटारिया व प्रतिवादी संख्या 16 राजपेरोकार उपस्थित। मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत [illegible] प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री [illegible]नुसार जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

| क्र.स | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टे0 में | बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में | किस्म | नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर) | लगान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शंकरराम पुत्र उकाराम हिस्सा 1/3, रूपाराम पुत्र उकाराम हिस्सा 1/3, शांतिराम पुत्र उकाराम 1/3 हिस्सा कौम मेगवाल सा. देह खातेदार | 1099 | 1.23 | 1.04 | बा.दो. | भूरा | 3.12 |
| | | 1100 | 1.31 | 1.10 | बा.दो. | | 3.30 |
| | | 1098 | 1.30 | 0.04 | बा.दो. | | 0.12 |
| 2. | मोटाराम पुत्र नानजी हिस्सा 1/3, चुनाराम पुत्र नागजी 1/3 (फौत) धनी पत्नि नानजी 1/3 कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार | 1094 | 1.86 | 1.32 | बा.दो. | बैंगनी | 3.96 |
| | | 1095 | 1.70 | 0.87 | बा.दो. | | 2.61 |
| 3. | काला पुत्र वजा 37/218 अमरा पुत्र वजा 37/218 मफा पुत्र वजा 72/109 कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार | 1097 | 1.33 | 0.81 | बा.दो. | गुलाबी | 2.43 |
| | | 1094 | 1.86 | 0.54 | बा.दो. | | 1.62 |
| | | 1095 | 1.70 | 0.83 | बा.दो. | | 2.49 |
| 4. | पना पुत्र तलका 1/6 रहन –SBI शाखा रानीवाडा, पारूदेवी पत्नि तलका 1/6 (फौत) रहन –SBI शाखा रानीवाडा, काली पुत्री तलका 1/6 (फौत) रहन –SBI शाखा रानीवाडा, रेवी पुत्री तलका 1/6 रहन –SBI शाखा रानीवाडा, दीवा पुत्री तलका 1/6 रहन–SBI शाखा रानीवाडा, विक्रम पुत्र माधाराम 1/24 रहन–SBI शाखा रानीवाडा, गोपाल पुत्र माधाराम 1/24 रहन–SBI शाखा रानीवाडा, पंखु पत्नि माधाराम 1/24 रहन–SBI शाखा रानीवाडा, प्रियंका पुत्री माधाराम 1/24 रहन–SBI शाखा रानीवाडा कौम मेगवंशी सा. देह खातेदार। | 1097 | 1.33 | 0.52 | बा.दो. | आसमानी | 1.56 |
| | | 1099 | 1.23 | 0.19 | बा.दो. | | 0.57 |
| | | 1098 | 1.30 | 1.26 | बा.दो. | | 3.78 |
| | | 1100 | 1.31 | 0.21 | बा.दो. | | 0.63 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 06.04.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

| मुद्द्ई | रूपया | पैसा | मुद्दयलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 2 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 | जवाबदावा | 2 | 00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 00 |
| महनताना वकील | 0 | 00 | महनताना वकील | 0 | 00 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 00 | खर्चा गवाहान | 0 | 00 |
| फीस कमीष्नर | 0 | 00 | फीस कमीश्नर | 0 | 00 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 |
| मुतफरिक | 0 | 00 | मुतफरिक | 0 | 00 |
| मौजाना | 3 | 00 | मौजाना | 3 | 00 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:47 IST
Reason: SelfAttested